रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-10072025-264519 CG-DL-E-10072025-264519

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3013]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 10, 2025/आषाढ़ 19, 1947 NEW DELHI, THURSDAY, JULY 10, 2025/ASHADHA 19, 1947

No. 3013]

भारी उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2025

का.आ. 3081(अ).—पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम।

पृष्ठभूमि

- 1. भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 29 सितंबर, 2024 को समय-समय पर संशोधित सा.आ. 4259(असा.) के माध्यम से पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट ("पीएम ई-ड्राइव" या "स्कीम") को अधिसूचित किया गया था।
- 2. यह अधिसूचना विशेष रूप से इलेक्ट्रिक ट्रकों ("ई-ट्रकों") के लिए जारी की जा रही है और इसे स्कीम के साथ जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए। यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

अर्हता

- 3. केंद्रीय मोटर यान नियम (सीएमवीआर) में परिभाषित ई-ट्रकों की निम्नलिखित श्रेणियां स्कीम के तहत मांग प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी:
 - क) एन2 सकल वाहन भार (जी.वी.डब्लू.) 3.5 टन से अधिक परंतु 12 टन से अधिक नहीं,
 - ख) एन3 जीवीडब्ल्यू 12 टन से अधिक परंतु 55 टन से अधिक नहीं,

4548 GI/2025 (1)

- ग) यह प्रोत्साहन केवल आर्टिकुलेटेड वाहन (ट्रैक्टर-ट्रेलर संयोजन) के मामले में एन3 श्रेणी के "पुलर ट्रैक्टर" के लिए लागू होगा।
- 4. ई-ट्रकों के लिए निष्पादन और दक्षता पात्रता मानदंड संलग्नक-3क के अनुसार होंगे।
- 5. एक्स-फैक्ट्री, समर्थित किए जाने वाले वाहनों की लक्षित संख्या, प्रति किलोवाट घंटा प्रोत्साहन, प्रति वाहन अधिकतम प्रोत्साहन, भारी उद्योग मंत्रालय से कुल निधि सहायता और अन्य विवरण संलग्नक-4क के अनुसार होंगे।
- 6. ई-ट्रकों के मामले में, प्रोत्साहन केवल समान या उच्च सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) वाले आईसीई ट्रकों के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिकृत पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्र (सीडी) ("स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र") प्रस्तुत करने पर प्रदान किया जाएगा। सीडी की हस्तांतरणीयता सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मानदंडों के अनुसार होगी।
- 7. सीडी की प्रामाणिकता, वैधता, स्वामित्व और जीवीडब्ल्यू को सत्यापित करने के लिए पीएम ई-ड्राइव और वाहन पोर्टल का उपयोग किया जाएगा।

मांग प्रोत्साहन

- 8. ई-ट्रकों को प्रदान की जाने वाली मांग प्रोत्साहन राशि निम्न में से न्यूनतम होगी:
 - क) 5,000 रुपए गुणा(x) किलोवॉट घंटे(केडब्ल्यूएच) में मापित बैटरी क्षमता,
 - ख) एक्स-फैक्ट्री मूल्य का 10% (ट्रेलर को छोड़कर),
 - ग) तालिका 1 के अनुसार जीवीडब्ल्यू पर आधारित अधिकतम प्रोत्साहन:

तालिका 1 प्रत्येक जी.वी.डब्लू. श्रेणी के लिए प्रति ई-ट्रक अधिकतम प्रोत्साहन

क्र.सं.	ई-ट्रक श्रेणी	जीवीडब्ल्यू (टन)	अधिकतम प्रोत्साहन प्रति ई-ट्रक (लाख रुपए)
1		>3.5 & <=7.5	2.7
2	एन2	>7.5 & <=12	3.6
3		>12 & <=18.5	7.8
4	एन3	>18.5 & <=35	9.6
5		>35 & <=55	9.3

मांग प्रोत्साहन प्राप्त करने की शर्तें

- 9. ई-ट्रकों के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) का उल्लेख संलग्नक-5क में किया गया है।
- 10. ई-ट्रकों के लिए वारंटी की आवश्यकता नीचे दी गई तालिका 2 के अनुसार होगी:

तालिका 2 ई-ट्रकों के लिए न्यूनतम वारंटी

	श्रेणी	न्यूनतम वारंटी			
क्र.सं.		बैटरी (वर्ष या किलोमीटर, जो	मोटर (वर्ष या किलोमीटर, जो	वाहन (वर्ष या किलोमीटर, जो	
		भी पहले हो)	भी पहले हो)	भी पहले हो)	
1	ई-ट्रक (एन2 और एन3)	5 वर्ष अथवा 5,00,000 किलोमीटर	5 वर्ष अथवा 2,50,000 किलोमीटर	5 वर्ष अथवा 2,50,000 किलोमीटर	

[फा. सं. 14/18/2024-AEI(30044)]

डॉ. हनीफ कुरैशी, अपर सचिव

संलग्नक-3क पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत बैटरी इलेक्ट्रिक ट्रकों*¹ (वाहन श्रेणियां एन2 और एन3) के लिए निष्पादन और दक्षता पात्रता मानदंड*²

क्र.सं.	वाहन खंड	वाहन		वाहन मॉडल पात्रता मानदंड				
		श्रेणी*³	न्यूनतम रेंज⁴ (किमी)	अधिकतम इलेक्ट्रिक ऊर्जा खपत*⁵ (किलोवॉटघंटा/100 किमी)	अधिकतम	न्यूनतम त्वरण* ⁶ (मीटर/से²)	न्यूनतम ग्रेडेबिलिटी⁴ (डिग्री)	
1		एन2 (3.5 से 12 टन तक)	80	150 से अधिक नहीं	60	0.8	7	
2	ई-ट्रक	एन3 (12 से अधिक, से 18.5 टन या 19.5 टन तक(यदि एयर सस्पेंशन लगा हो)	100	180 से अधिक नहीं	60	0.5	7	
		एन3 (18.5 से अधिक या 19.5 टन से (यदि एयर सस्पेंशन लगा हो) से 30 या 31 टन(यदि एयर सस्पेंशन लगा हो)।	100	200 से अधिक नहीं	60	0.5	7	
		एन3 (30 से अधिक या 31 टन (यदि एयर सस्पेंशन लगा हो) से 46 टन या 47 टन (यदि एयर सस्पेंशन लगा हो)	100	275 से अधिक नहीं	60	0.5	7	
		एन3 (46 से अधिक या 47 टन (यदि एयर सस्पेंशन लगा हो) से 55 टन तक)	100	350 से अधिक नहीं	60	0.5	7	

पाद टिप्पणी (*):

- 1. सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य रूप से 'इलेक्ट्रिक रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम' से सुसज्जित किया जाएगा।
- 2. निष्पादन और दक्षता पात्रता मानदंडों का परीक्षण भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।
- 3. जैसा कि केंद्रीय मोटर यान नियम (सीएमवीआर), 1989 में परिभाषित किया गया है।
- 4. सीएमवीआर, 1989 में उल्लिखित लागू परीक्षण मानक/प्रक्रिया के अनुसार।
- 5. सभी बीईवी के लिए विद्युत ऊर्जा खपत माप एआईएस 039 के अनुसार किया जाएगा, जैसा कि सीएमवीआर 1989 में लागू और अधिसूचित है और समय-समय पर संशोधित किया गया है। ऊर्जा खपत को निम्नानुसार मापा जाना चाहिए।
 - क. ऑफ-बोर्ड डीसी चार्जर: चार्जर के बाद और चार्जर और वाहन के बीच में।
 - ख. ऑन-बोर्ड चार्जर/पोर्टेबल चार्जर (वाहन के साथ आपूर्ति): बिजली के मेन आउटलेट और ऑन-बोर्ड चार्जर/पोर्टेबल चार्जर के बीच।

- ग. परीक्षण रिपोर्ट में प्रासंगिक वाहन श्रेणियों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य की तुलना में मापा गया मान निर्दिष्ट किया जाएगा।
- 6. न्यूनतम अधिकतम गति (किमीटर/घंटा) और न्यूनतम त्वरण (मीटर/सेकेंड²) के मापन की प्रक्रिया इस प्रकार होगी:
 - क. मापन संदर्भ द्रव्यमान स्थिति (अर्थात् भार वहन क्षमता के 50% से अधिक भार रहित द्रव्यमान) में वाहन निर्माता (ओईएम) द्वारा प्रस्तुत वाहन विनिर्देशों के अनुसार चेसिस डायनेमोमीटर पर किया जाएगा।
 - ख. भार सहित स्थिति में भार वितरण निर्माता की घोषणा के अनुसार होगा और सीएमवीआर निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।
 - ग. परीक्षण वाहन को पुनरावृत्ति और अधिकतम गति और त्वरण आवश्यकता को पूरा करने के लिए चेसिस डायनेमोमीटर पर कम से कम 3 मिनट तक चलाया जाएगा। अनुपालन आवश्यकता को सत्यापित करने के लिए अधिकतम गति और त्वरण (शून्य वेग से शुरू) का मापा गया डेटा लिया जाएगा।
 - घ. वैकल्पिक रूप से, परीक्षण एजेंसी और वाहन निर्माता (ओईएम) के बीच आपसी समझौते के अनुसार परीक्षण ट्रैक पर परीक्षण किया जा सकता है। परीक्षण वाहन को कम से कम 2 मिनट तक गर्म करने के लिए चलाया जाएगा और अधिकतम गति और त्वरण (शून्य वेग से शुरू) को मापने के लिए कम से कम 3 मिनट तक चलाया जाएगा।
- ङ. परीक्षण के दौरान, बैटरी की चार्ज अवस्था 40% 60% के भीतर होनी चाहिए। उपर्युक्त सभी परीक्षण एचवीएसी (यदि फिट किया गया हो) की बंद अवस्था में किया जाना चाहिए।

संलग्नक-4क

ई-ट्रकों के लिए मांग प्रोत्साहन, समर्थित ई-ट्रकों की संभावित संख्या और अन्य विवरण।

क्र.सं.	वाहन खंड	समर्थित किए जाने वाले वाहनों की सांकेतिक संख्या		वाहनों के लिए प्रोत्साहन		प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए अधिकतम एक्स-फैक्ट्री मूल्य	भारी उद्योग मंत्रालय से कुल निधि सहायता
		वित्त वर्ष	वित्त वर्ष	वित्त वर्ष	वित्त वर्ष		(करोड़
		2024-25	2025-26	2024-25	2025-26		रुपए)
1	ई-ट्रक	-	5,643	-	5,000 रुपए प्रति	1.25 करोड़ 	500
					प्रात किलोवॉट	रुपए	
					घंटा*		

^{*}ई-ट्रकों को प्रदान की जाने वाली मांग प्रोत्साहन राशि निम्न में से न्यूनतम होगी:

- क) 5,000 रुपए गुणा(x) किलोवॉट घंटे(केडब्ल्यूएच) में मापित बैटरी क्षमता,
- ख) एक्स-फैक्ट्री मूल्य का 10% (ट्रेलर को छोड़कर),
- ग) निम्नलिखित तालिका के अनुसार जीवीडब्ल्य पर आधारित अधिकतम प्रोत्साहन:

क्र.सं.	ई-ट्रक श्रेणी	जीवीडब्ल्यू (टन में)	अधिकतम प्रोत्साहन/ई-ट्रक (लाख रुपए)
1		>3.5 & <=7.5	2.7
2	एन2	>7.5 & <=12	3.6
3		>12 & <=18.5	7.8
4	एन3	>18.5 & <=35	9.6
5		>35 & <=55	9.3

संलग्नक-5क

ई-ट्रकों (एन2 और एन3 श्रेणी) के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी)

क्र.सं.	पीएमपी घटक	एन2 श्रेणी	एन3 श्रेणी
1	एचवीएसी	1 सितंबर 2025 से प्रभावी:	1 सितंबर 2025 से प्रभावी:
	(हीटिंग,	एचवीएसी का विनिर्माण जिसमें कम से कम	एचवीएसी का विनिर्माण जिसमें कम से कम
	वेंटिलेशन और एयर कंडीशर्निंग	ब्लोअर लगाना, इलेक्ट्रिक कंप्रेसर लगाना, चिलर	ब्लोअर लगाना, इलेक्ट्रिक कंप्रेसर लगाना, चिलर
	सिस्टम) (यदि	यूनिट लगाना, हीटर लगाना (यदि उपलब्ध हो),	यूनिट लगाना, हीटर लगाना (यदि उपलब्ध हो),
	फिट किया गया	सर्कुलेशन वेंट लगाना, फिल्टर लगाना, कंट्रोल	सर्कुलेशन वेंट लगाना, फिल्टर लगाना, कंट्रोल
	हो)	पैनल/यूनिट लगाना, एचएमआई कंसोल लगाना	पैनल/यूनिट लगाना, एचएमआई कंसोल लगाना
		शामिल है, घरेलू स्तर पर किया जाएगा।	शामिल है, घरेलू स्तर पर किया जाएगा।
2	ब्रेक के लिए	1 सितंबर 2025 से प्रभावी:	1 सितंबर 2025 से प्रभावी:
	इलेक्ट्रिक कंप्रेसर	ब्रेक के लिए इलेक्ट्रिक कंप्रेसर का विनिर्माण,	ब्रेक के लिए इलेक्ट्रिक कंप्रेसर का विनिर्माण,
		जिसमें कम से कम केबल फिटमेंट, कनेक्टर	जिसमें कम से कम केबल फिटमेंट, कनेक्टर
		फिटमेंट, हीट-सिंक फिटमेंट, एनक्लोजर फिटमेंट,	फिटमेंट, हीट-सिंक फिटमेंट, एनक्लोजर फिटमेंट,
		मोटर फिटमेंट, स्क्रॉल/रेसिप्रोकेटिंग/वेन/स्क्रू	मोटर फिटमेंट, स्क्रॉल/रेसिप्रोकेटिंग/वेन/स्क्रू
		फिटमेंट शामिल है, घरेलू स्तर पर किया जाएगा।	फिटमेंट शामिल है, घरेलू स्तर पर किया जाएगा।
3	चार्जिंग इनलेट	1 सितंबर 2025 से प्रभावी:	1 सितंबर 2025 से प्रभावी:
	सीसीएस2	चार्जिंग इनलेट सीसीएस2 का विनिर्माण, जिसमें	चार्जिंग इनलेट सीसीएस2 का विनिर्माण, जिसमें
		कम से कम संपर्क पिन फिटमेंट, केबल इंटीग्रेशन,	कम से कम संपर्क पिन फिटमेंट, केबल इंटीग्रेशन,
		हाउसिंग फिटमेंट शामिल है, घरेलू स्तर पर किया	हाउसिंग फिटमेंट शामिल है, घरेलू स्तर पर किया
		जाएगा।	जाएगा।
4	ट्रैक्शन बैटरी पैक	1 सितंबर 2025 से प्रभावी:	1 सितंबर 2025 से प्रभावी:
		ट्रैक्शन बैटरी पैक का विनिर्माण जिसमें कम से कम	ट्रैक्शन बैटरी पैक का विनिर्माण जिसमें कम से कम
		सेल-टू-सेल कनेक्शन, बस बार फिटमेंट, सेंसर	सेल-टू-सेल कनेक्शन, बस बार फिटमेंट, सेंसर
		माउंटिंग, वायरिंग और क्रिम्पिंग, कनेक्टर	माउंटिंग, वायरिंग और क्रिम्पिंग, कनेक्टर
		फिटमेंट, सुरक्षा उपकरण फिटमेंट, बीएमएस और	फिटमेंट, सुरक्षा उपकरण फिटमेंट, बीएमएस और
		थर्मल प्रबंधन प्रणाली इंटीग्रेशन, प्रेशर रिलीज	थर्मल प्रबंधन प्रणाली इंटीग्रेशन, प्रेशर रिलीज
		वाल्व फिटमेंट, एनक्लोजर फिटमेंट शामिल हैं,	वाल्व फिटमेंट, एनक्लोजर फिटमेंट शामिल हैं,
		घरेलू स्तर पर किया जाएगा।	घरेलू स्तर पर किया जाएगा।
		आयातित बैटरी मॉड्यूल के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।	आयातित बैटरी मॉड्यूल के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
5	बैटरी प्रबंधन	1 मार्च 2026 से प्रभावी:	1 मार्च 2026 से प्रभावी:
	प्रणाली (बीएमएस)	बीएमएस का विनिर्माण जिसमें कम से कम पीसीबी पर इलेक्ट्रॉनिक	बीएमएस का विनिर्माण जिसमें कम से कम
		घटकों/अर्धचालकों/कनेक्टर्स की असेंबली,	पीसीबी पर इलेक्ट्रॉनिक
		वायरिंग, कनेक्टर फिटमेंट, हीट-सिंक फिटमेंट	घटकों/अर्धचालकों/कनेक्टर्स की असेंबली,
		(यदि प्रदान किया गया हो), एनक्लोजर फिटमेंट,	वायरिंग, कनेक्टर फिटमेंट, हीट-सिंक फिटमेंट
		सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर फ्लैशिंग शामिल है, घरेलू	(यदि प्रदान किया गया हो), एनक्लोजर फिटमेंट,
		स्तर पर किया जाएगा।	

क्र.सं.	पीएमपी घटक	एन2 श्रेणी	एन3 श्रेणी
			सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर फ्लैशिंग शामिल है, घरेलू
		28 फरवरी 2026 तक बीएमएस के आयात की अनुमति दी जा सकती है।	स्तर पर किया जाएगा।
			28 फरवरी 2026 तक बीएमएस के आयात की अनुमति दी जा सकती है।
6	डीसी – डीसी	1 सितंबर 2025 से प्रभावी:	1 सितंबर 2025 से प्रभावी:
	कनवर्टर	डीसी-डीसी कनवर्टर का विनिर्माण जिसमें कम से	डीसी-डीसी कनवर्टर का विनिर्माण जिसमें कम से
		कम असेंबल्ड पीसीबी (पीसीबीए), वायरिंग और	कम असेंबल्ड पीसीबी (पीसीबीए), वायरिंग और
		क्रिम्पिंग, कनेक्टर फिटमेंट, हीट-सिंक फिटमेंट,	क्रिम्पिंग, कनेक्टर फिटमेंट, हीट-सिंक फिटमेंट,
		एनक्लोजर फिटमेंट, सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर फ्लैशिंग	एनक्लोजर फिटमेंट, सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर फ्लैशिंग
		का इंटीग्रेशन शामिल है, घरेलू स्तर पर किया	का इंटीग्रेशन शामिल है, घरेलू स्तर पर किया
		जाएगा।	जाएगा।
		1 मार्च 2026 से प्रभावी: डीसी-डीसी कनवर्टर का विनिर्माण जिसमें कम से कम पीसीबी पर इलेक्ट्रॉनिक घटकों / अर्धचालकों	1 मार्च 2026 से प्रभावी: डीसी-डीसी कनवर्टर का विनिर्माण जिसमें कम से कम पीसीबी पर इलेक्ट्रॉनिक घटकों / अर्धचालकों
		/ कनेक्टर्स की असेंबली, वायरिंग और क्रिम्पिंग,	/ कनेक्टर्स की असेंबली, वायरिंग और क्रिम्पिंग,
		कनेक्टर फिटमेंट, हीट-सिंक फिटमेंट, एनक्लोजर	कनेक्टर फिटमेंट, हीट-सिंक फिटमेंट, एनक्लोजर
		फिटमेंट, सॉफ्टवेयर / फर्मवेयर फ्लैशिंग शामिल	फिटमेंट, सॉफ्टवेयर / फर्मवेयर फ्लैशिंग शामिल
		है, घरेलू स्तर पर किया जाएगा।	है, घरेलू स्तर पर किया जाएगा।
7	वाहन नियंत्रण	1 सितंबर 2025 से प्रभावी:	1 सितंबर 2025 से प्रभावी:
	इकाई	वाहन नियंत्रण इकाई (वीसीयू) का विनिर्माण,	वाहन नियंत्रण इकाई (वीसीयू) का विनिर्माण,
		जिसमें कम से कम पीसीबी पर इलेक्ट्रॉनिक	जिसमें कम से कम एसेम्बल पीसीबी का
		घटकों/अर्धचालकों/कनेक्टर्स की असेंबली,	इंटीग्रेशन(पीसीबीए), वायरिंग, कनेक्टर फिटमेंट,
		वायरिंग, कनेक्टर फिटमेंट, हीट-सिंक फिटमेंट,	हीट-सिंक फिटमेंट, एनक्लोजर फिटमेंट,
		एनक्लोजर फिटमेंट, सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर फ्लैशिंग	सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर फ्लैशिंग शामिल है, घरेलू
		शामिल है, घरेलू स्तर पर किया जाएगा।	स्तर पर किया जाएगा।
			1 मार्च 2026 से प्रभावी:
			वाहन नियंत्रण इकाई (वीसीयू) का विनिर्माण,
			जिसमें कम से कम पीसीबी पर इलेक्ट्रॉनिक
			घटकों/अर्धचालकों/कनेक्टर्स की असेंबली,
			वायरिंग, कनेक्टर फिटमेंट, हीट-सिंक फिटमेंट,
			एनक्लोजर फिटमेंट, सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर फ्लैशिंग
			शामिल है, घरेलू स्तर पर किया जाएगा।
8	ट्रैक्शन मोटर	1 सितंबर 2025 से प्रभावी:	1 मार्च 2026 से प्रभावी:
		ट्रैक्शन मोटर का विनिर्माण जिसमें कम से कम	ट्रैक्शन मोटर का विनिर्माण जिसमें कम से कम
		चुंबक फिटमेंट, मोटर में रोटर असेंबली का	चुंबक फिटमेंट, मोटर में रोटर असेंबली का
		फिटमेंट, मोटर में स्टेटर असेंबली का फिटमेंट,	फिटमेंट, मोटर में स्टेटर असेंबली का फिटमेंट,
		शाफ्ट फिटमेंट, बेयरिंग फिटमेंट, एनक्लोजर	शाफ्ट फिटमेंट, बेयरिंग फिटमेंट, एनक्लोजर
		फिटमेंट, कनेक्टर फिटमेंट, केबल फिटमेंट शामिल	फिटमेंट, कनेक्टर फिटमेंट, केबल फिटमेंट शामिल
		हैं, घरेलू स्तर पर किया जाएगा।	हैं, घरेलू स्तर पर किया जाएगा।

क्र.सं.	पीएमपी घटक	एन2 श्रेणी	एन3 श्रेणी
9	ट्रांसमिशन के साथ एकीकृत ट्रैक्शन मोटर (जहां भी लागू हो)	लागू नहीं	1 सितंबर 2025 से प्रभावी: एकीकृत ट्रैक्शन मोटर एवं ट्रांसमिशन, ट्रैक्शन मोटर कंट्रोलर, ट्रांसमिशन नियंत्रक और सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग की असेंबली घरेलू स्तर पर की जाएगी।
			इसके अतिरिक्त 1 मार्च 2026 से प्रभावी: (i) ट्रैक्शन मोटर और ट्रांसिमशन का विनिर्माण जिसमें कम से कम रोटर असेंबली को मोटर में फिट करना, स्टेटर असेंबली को मोटर में फिट करना, शाफ्ट फिटमेंट, बेयरिंग फिटमेंट, एनक्लोजर फिटमेंट, कनेक्टर फिटमेंट, केबल फिटमेंट, ट्रांसिमशन फिटमेंट, ट्रांसिमशन कंट्रोलर फिटमेंट शामिल है, घरेलू स्तर पर किया जाएगा और
			(ii) इन्वर्टर सहित ट्रैक्शन मोटर कंट्रोलर का विनिर्माण जिसमें कम से कम पीसीबी पर इलेक्ट्रॉनिक घटकों/सेमीकंडक्टर/कनेक्टर की असेंबली, हाई वोल्टेज कनेक्टर फिटमेंट, केबल फिटमेंट, हीट-सिंक फिटमेंट, एनक्लोजर फिटमेंट, सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर फ्लैशिंग शामिल है, घरेलू स्तर पर किया जाएगा।
10	इन्वर्टर सहित ट्रैक्शन मोटर कंट्रोलर	1 सितंबर 2025 से प्रभावी: इन्वर्टर सहित ट्रैक्शन मोटर कंट्रोलर का विनिर्माण, जिसमें कम से कम असेंबल्ड पीसीबी का इंटीग्रेशन (पीसीबीए), उच्च वोल्टेज कनेक्टर फिटमेंट, केबल फिटमेंट, हीट-सिंक फिटमेंट, एनक्लोजर फिटमेंट, सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर फ्लैशिंग का शामिल हो, घरेलू स्तर पर किया जाएगा। 1 मार्च 2026 से प्रभावी: इन्वर्टर सहित ट्रैक्शन मोटर कंट्रोलर का विनिर्माण, जिसमें कम से कम पीसीबी पर इलेक्ट्रॉनिक घटकों/अर्धचालकों/कनेक्टर्स की असेंबली, उच्च वोल्टेज कनेक्टर फिटमेंट, केबल फिटमेंट, हीट-सिंक फिटमेंट, एनक्लोजर फिटमेंट, सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर फ्लैशिंग शामिल है, घरेलू स्तर पर किया जाएगा।	1 मार्च 2026 से प्रभावी: (एकीकृत ट्रांसिमशन के बिना ट्रैक्शन मोटर के मामले में) इन्वर्टर सहित ट्रैक्शन मोटर कंट्रोलर का निर्माण जिसमें कम से कम पीसीबी पर इलेक्ट्रॉनिक घटकों/अर्धचालकों/कनेक्टरों की असेंबली, उच्च वोल्टेज कनेक्टर फिटमेंट, केबल फिटमेंट, हीट-सिंक फिटमेंट, एनक्लोजर फिटमेंट, सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर फ्लैशिंग शामिल है, घरेलू स्तर पर किया जाएगा।
11	उपकरण क्लस्टर	1 सितंबर 2025 से प्रभावी: उपकरण क्लस्टर का विनिर्माण जिसमें कम से कम पीसीबी पर इलेक्ट्रॉनिक घटकों/अर्धचालकों/कनेक्टर्स की असेंबली, डिस्प्ले यूनिट फिटमेंट, वायरिंग, कनेक्टर फिटमेंट, हीट-	1 सितंबर 2025 से प्रभावी: उपकरण क्लस्टर का विनिर्माण जिसमें कम से कम पीसीबी पर इलेक्ट्रॉनिक घटकों/अर्धचालकों/कनेक्टर्स की असेंबली, डिस्प्ले यूनिट फिटमेंट, वायरिंग, कनेक्टर फिटमेंट, हीट-

क्र.सं.	पीएमपी घटक	एन2 श्रेणी	एन3 श्रेणी
		सिंक फिटमेंट, एनक्लोजर फिटमेंट,	सिंक फिटमेंट, एनक्लोजर फिटमेंट,
		सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर फ्लैशिंग शामिल है, घरेलू	सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर फ्लैशिंग शामिल है, घरेलू
		स्तर पर किया जाएगा।	स्तर पर किया जाएगा।

ई-ट्रक (एन2 और एन3 श्रेणी) पीएमपी की अतिरिक्त शर्तें

- चूंिक ई-ट्रकों के लिए पीएमपी पहली बार शुरू की जा रही है, इसलिए सां.आ. 4259(असा.) दिनांक 29 सितंबर,
 2024 के संलग्नक-5 के अनुसार ई-बसों के लिए पीएमपी, इस पीएमपी की अधिसूचना की तारीख से प्रभावी तिथि तक संबंधित पीएमपी घटक के लिए उपर्यक्त तालिका के अनुसार ई-ट्रकों (एन2 और एन3 श्रेणी) के लिए लाग होगी।
- 2. इलेक्ट्रिक वाहनों (ई-ट्रक एन2 और एन3 श्रेणी) के अन्य सभी घटक (परीक्षण एजेंसियों द्वारा जारी की जाने वाली अलग सूची के अनुसार) घरेलू स्तर पर निर्मित किए जाएंगे। परीक्षण एजेंसियां उनके घरेलू विनिर्माण का आकलन करने के लिए अलग से दिशानिर्देश जारी करेंगी।
- 3. कई पीएमपी घटकों (जैसे डीसी-डीसी कनवर्टर, ऑन-बोर्ड चार्जर और इन्वर्टर सिंहत मोटर कंट्रोलर से युक्त 3-इन-1 कॉम्बो यूनिट) से युक्त एकीकृत इकाई के मामले में, अनुपालन के लिए पीएमपी सत्यापन प्रत्येक पीएमपी घटकों के लिए अलग से किया जाएगा।
- 4. "निर्माण" की परिभाषा सीजीएसटी अधिनियम 2017 में परिभाषित की जाएगी।
- 5. एकल आपूर्तिकर्ता से सीकेडी फॉर्म (पीएमपी घटकों और अन्य वाहन घटकों के बाल भाग) में इलेक्ट्रिक वाहनों (ई-ट्रक एन2 और एन3 श्रेणी) के पीएमपी घटकों और अन्य सभी घटकों (परीक्षण एजेंसियों द्वारा जारी की जाने वाली अलग सुची के अनुसार) का आयात करने की अनुमित नहीं होगी।

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2025

S.O. 3081(E).—PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-DRIVE) Scheme.

Background

- 1. The PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement ("PM E-DRIVE" or "the Scheme") was notified by Ministry of Heavy Industries vide S.O.4259 (E) dated 29th September 2024 as amended from time to time.
- 2. This notification is being issued specifically for electric trucks ("e-trucks") and it should be read in conjunction with the Scheme. This notification will be in effect from the date of its publication in the Official Gazette.

Eligibility

- 3. The following categories of e-trucks, as defined in the Central Motor Vehicle Rules (CMVR) will be eligible for the Demand Incentives under the Scheme:
 - a) N2 Gross vehicle weight (GVW) exceeding 3.5 tonnes but not exceeding 12 tonnes,
 - b) N3 GVW exceeding 12 tonnes but not exceeding 55 tonnes,
 - c) The incentive will be applicable only for the "puller tractor" of N3 category in case of an articulated vehicle (tractor-trailer combination).
- 4. The performance & efficiency eligibility criteria for e-trucks will be as per Annexure-3A.
- 5. The threshold value of ex-factory price, target number of vehicles to be supported, incentive per kWh, maximum incentive per vehicle, total fund support from MHI and other details will be as per Annexure-4A.
- 6. In the case of e-trucks, incentive will be provided only against furnishing Certificate of Deposit (CD) ("scrapping certificate") issued by MoRTH authorised registered vehicle scrapping facility(ies) (RVSF) for ICE trucks of equal or higher gross vehicle weight (GVW). Transferability of CD shall be as per the norms of MoRTH.
- 7. PM E-DRIVE and Vahan portals shall be used to verify the authenticity, validity, ownership and GVW of the CDs. **Demand Incentive**
- 8. The Demand Incentive to be provided to e-trucks will be lower of the following:
 - a) ₹5,000 multiplied by battery capacity measured in kilowatt-hour (kWh),
 - b) 10% of ex-factory price (excluding trailer),

c) Maximum incentive based on GVW as per Table 1:

Table 1 Maximum incentive per e-truck for each GVW category

Sr. No.	E-truck category	GVW (tonnes)	Maximum incentive/ e-truck (₹ lakh)
1	N2	>3.5 & <=7.5	2.7
2	NZ	>7.5 & <=12	3.6
3		>12 & <=18.5	7.8
4	N3	>18.5 & <=35	9.6
5		>35 & <=55	9.3

Conditions to avail Demand Incentives

- 9. Phased manufacturing programme (PMP) for e-trucks is mentioned in Annexure-5A.
- 10. The warranty requirement for e-trucks shall be as per Table 2 below:

Table 2 Minimum warranty for e-trucks

		Minimum warranty				
Sr. No	. Category	Battery (years or kms,	Motor (years or kms,	Vehicle (years or kms,		
		whichever is earlier)	whichever is earlier)	whichever is earlier)		
1	e-trucks (N2 & N3)	5 yrs or 5,00,000 kms	5 yrs or 2,50,000 kms	5 yrs or 2,50,000 kms		

[F. No. 14/18/2024-AEI (30044)]

Dr. HANIF QURESHI, Addl. Secy.

Annexure-3A Performance & Efficiency Eligibility Criteria for Battery Electric Trucks*1 (Vehicle Categories N2 and N3) under PM E-DRIVE Scheme*2

Sr.	Vehicle	Vehicle		Vehicle N	Aodel Eligibili	ty Criteria	
No.	Segment	Category*3	Minimum Range *4 (km)	Maximum Electric Energy Consumption *5 (kWh/100 km)	Minimum Max Speed *6 (km/h)	Minimum Acceleration *6 (m/s²)	Minimum Gradeability *4 (Degree)
1		N2 (above 3.5 to 12 ton)	80	Not Exceeding 150	60	0.8	7
2		N3 (above 12 to 18.5 ton or 19.5 ton (if fitted with Air Suspension)	100	Not Exceeding 180	60	0.5	7
	e-Trucks	N3 (above 18.5 or 19.5 ton (if fitted with Air Suspension) to 30 ton or 31 ton (if fitted with air suspension)	100	Not Exceeding 200	60	0.5	7
		N3 (above 30 or 31 ton (if fitted with air suspension) to 46 ton or 47 ton (if fitted with air suspension)	100	Not Exceeding 275	60	0.5	7
		N3 (above 46 or 47 ton (if fitted with air suspension) to 55 ton)	100	Not Exceeding 350	60	0.5	7

Foot Note (*):

- 1. All Electric vehicles shall necessarily be equipped with 'Electric Regenerative Braking System'
- 2. Performance & Efficiency Eligibility criteria will be tested by testing agencies of MHI.
- 3. As defined in the Central Motor Vehicles Rules (CMVR), 1989.
- 4. As per applicable test standard / procedure mentioned in CMVR, 1989.
- The electrical energy consumption measurements shall be done for all the BEVs as per AIS 039, as applicable
 and notified in CMVR 1989 and as amended from time to time. Energy consumption to be measured as
 follows.
 - a. Off-board DC charger: After the charger and in between charger and vehicle.
 - b. On-board charger/ Portable charger (supplied with vehicle): Between electricity mains outlet and On-board charger/ Portable charger.
 - c. The test report shall specify the measured value in comparison with the target specified for relevant vehicle categories.
- 6. The Procedure for measurement of minimum Max Speed (km/h) and minimum Acceleration (m/s²) shall be as follows:
 - a. Measurement shall be carried out in Reference Mass condition (i.e. unladen mass increased by a figure of 50% of the pay load) as per vehicle specifications submitted by the vehicle manufacturer (OEM), on Chassis Dynamometer.
 - b. Pay load distribution in the laden condition shall be as per the manufacturer's declaration and complying to CMVR prescriptions.
 - c. The test vehicle shall be run for at least 3 minutes on chassis dynamometer to verify repeatability and meeting maximum speed and acceleration requirement. Measured data of maximum speed and acceleration (starting from Zero Velocity) will be taken for verifying compliance requirement.
 - d. Alternatively, the test may be carried on test track as per mutual agreement between the test agency and the vehicle manufacturer (OEM). Test vehicle shall be driven for at least 2 -minutes for warm-up of vehicle and at least 3 minutes for measurement of maximum speed and acceleration (starting from Zero Velocity).
 - e. During the test, the battery state of charge shall be within 40% 60%.

All the above testing is to be conducted with HVAC (if fitted) in OFF condition.

Annexure-4A

Demand Incentives for e-trucks, likely number of e-trucks to be supported and other details.

Sr. No.	Vehicle segment		number of e supported	Incentive for vehicles		Maximum Ex-factory price to avail incentive	Total fund support from MHI
		FY 2024-25	FY 2025-26	FY 2024-25	FY 2025-26		(₹ crore)
1	e-trucks	-	5,643	-	₹5,000/	₹1.25 crore	500
					kWh^*		

^{*}Demand Incentive to be provided to e-trucks will be lower of the following:

a) ₹5,000 multiplied by battery capacity measured in kilowatt-hour (kWh),

- b) 10% of ex-factory price (excluding trailer),
- c) Maximum incentive based on GVW as per the following table:

Sr. No.	E-truck category	GVW (tonnes)	Maximum incentive/ e-truck (₹ lakh)
1	NO	>3.5 & <=7.5	2.7
2	N2	>7.5 & <=12	3.6
3		>12 & <=18.5	7.8
4	N3	>18.5 & <=35	9.6
5		>35 & <=55	9.3

Annexure-5A Phased Manufacturing Programme (PMP) for Vehicle Category e-Trucks (N2 and N3 Category)

S.No.	PMP	N2 Category	N3 Category	
	Component			
1	HVAC	With effect from 1 st September 2025:	With effect from 1 st September 2025:	
	(Heating,	Manufacturing of HVAC which at least	Manufacturing of HVAC which at least	
	Ventilation and	includes fitment of blowers, fitment of	includes fitment of blowers, fitment of	
	Air	electric compressor, fitment of chiller unit,	electric compressor, fitment of chiller unit,	
	Conditioning	fitment of heater (if provided), fitment of	fitment of heater (if provided), fitment of	
	System)	circulation vents, fitment of filter, fitment	circulation vents, fitment of filter, fitment	
	(if fitted)	of control panel/unit, fitment of HMI	of control panel/unit, fitment of HMI	
		console shall be domestically performed.	console shall be domestically performed.	
2	Electric	With effect from 1 st September 2025:	With effect from 1 st September 2025:	
	Compressor	Manufacturing of Electric compressor for	Manufacturing of Electric compressor for	
	for Brake	brake which at least includes, cable fitment,	brake which at least includes, cable fitment,	
		connector fitment, heat- sink fitment,	connector fitment, heat- sink fitment,	
		enclosure fitment, fitment of motor,	enclosure fitment, fitment of motor,	
		scroll/reciprocating/vane/screw fitment	scroll/reciprocating/vane/screw fitment	
		shall be domestically performed.	shall be domestically performed.	
3	Charging inlet	With effect from 1 st September 2025:	With effect from 1 st September 2025:	
	CCS2	Manufacturing of Charging inlet CCS2	Manufacturing of Charging inlet CCS2	
		which at least includes contact pin fitment,	which at least includes contact pin fitment,	
		cable integration, housing fitment shall be	cable integration, housing fitment shall be	
		domestically performed.	domestically performed.	
4	Traction	With effect from 1 st September 2025:	With effect from 1 st September 2025:	
	battery pack	Manufacturing of traction battery pack	Manufacturing of traction battery pack	
		which at least includes cell-to-cell	which at least includes cell-to-cell	
		connections, bus bar fitment, sensors	connections, bus bar fitment, sensors	
		mounting, wiring and crimping, connector	mounting, wiring and crimping, connector	
		fitment, safety devices fitment, BMS and	fitment, safety devices fitment, BMS and	
		thermal management system integration,	thermal management system integration,	
		pressure release valves fitment, enclosure	pressure release valves fitment, enclosure	
		fitment shall be domestically performed.	fitment shall be domestically performed.	
		Usage of imported battery modules shall	Usage of imported battery modules shall	
		not be permitted.	not be permitted.	
	Battery	With effect from 1st March 2026:	With effect from 1st March 2026:	
	Management	Manufacturing of BMS which at least	Manufacturing of BMS which at least	
	System (BMS)	includes assembly of electronic	includes assembly of electronic	
		components/semiconductors/connectors on	components/semiconductors/connectors on	
		the PCB, wiring, connector fitment, heat-	the PCB, wiring, connector fitment, heat-	
		sink fitment (if provided), enclosure	sink fitment (if provided), enclosure	
		fitment, software/firmware flashing shall be	fitment, software/firmware flashing shall be	
		domestically performed.	domestically performed.	
		Up to 28th February 2026, import of BMS	Up to 28th February 2026, import of BMS	
		may be permitted.	may be permitted.	

S.No.	PMP Component	N2 Category	N3 Category
l l	DC – DC converter	With effect from 1 st September 2025: Manufacturing of DC – DC converter which at least includes integration of assembled PCB (PCBA), wiring and crimping, connector fitment, heat-sink fitment, enclosure fitment, software/firmware flashing shall be domestically performed.	With effect from 1st September 2025: Manufacturing of DC – DC converter which at least includes integration of assembled PCB (PCBA), wiring and crimping, connector fitment, heat-sink fitment, enclosure fitment, software/firmware flashing shall be domestically performed.
		With effect from 1 st March 2026: Manufacturing of DC – DC converter which at least includes assembly of electronic components/semiconductors/connectors on the PCB, wiring and crimping, connector fitment, heat-sink fitment, enclosure fitment, software/firmware flashing shall be domestically performed.	With effect from 1 st March 2026: Manufacturing of DC – DC converter which at least includes assembly of electronic components/semiconductors/connectors on the PCB, wiring and crimping, connector fitment, heat-sink fitment, enclosure fitment, software/firmware flashing shall be domestically performed.
7	Vehicle Control Unit	With effect from 1st September 2025: Manufacturing of Vehicle Control Unit (VCU) which at least includes assembly of electronic components/ semiconductors/ connectors on the PCB, wiring, connector fitment, heat- sink fitment, enclosure fitment, software/firmware flashing shall be domestically performed.	With effect from 1st September 2025: Manufacturing of Vehicle Control Unit (VCU) which at least includes integration of assembled PCB (PCBA), wiring, connector fitment, heat-sink fitment, enclosure fitment, software/firmware flashing shall be domestically performed. With effect from 1st March 2026 Manufacturing of Vehicle Control Unit (VCU) which at least includes assembly of electronic components/ semiconductors/ connectors on the PCB, wiring, connector fitment, heat- sink fitment, enclosure fitment, software/firmware flashing shall be domestically performed.
8	Traction Motor	With effect from 1 st September 2025: Manufacturing of traction motor which at least includes magnet fitment, fitment of rotor assembly into motor, fitment of stator assembly into motor, shaft fitment, bearing fitment, enclosure fitment, connectors fitment, cables fitment shall be domestically performed.	With effect from 1st March 2026: Manufacturing of traction motor which at least includes magnet fitment, fitment of rotor assembly into motor, fitment of stator assembly into motor, shaft fitment, bearing fitment, enclosure fitment, connectors fitment, cables fitment shall be domestically performed.
9	Traction Motor Integrated with Transmission (Wherever applicable)	Not Applicable	With effect from 1st September 2025: Assembly of integrated Traction motor & transmission, Traction Motor controller, Transmission controller and Software flashing shall be domestically performed. Additionally with effect from 1st March 2026: (i) Manufacturing of Traction Motor & transmission which at least includes, fitment of rotor assembly into motor, fitment of stator assembly into motor, shaft fitment, bearing fitment, enclosure fitment, connectors fitment, cables fitment, transmission fitment, transmission

S.No.	PMP	N2 Category	N3 Category
	Component		
			controller fitment shall be domestically performed and (ii) Manufacturing of Traction Motor controller including inverter which at least includes assembly of electronic components/
			semiconductors/ connectors on the PCB, high voltage connectors fitment, cables fitment, heat- sink fitment, enclosure fitment, software/firmware flashing shall be domestically performed.
10	Traction	With effect from 1st September 2025:	With effect from 1st March 2026:
	Motor	Manufacturing of Traction Motor controller	(In case of Traction Motor without
	controller	including inverter which at least includes	Integrated Transmission)
	including	integration of assembled PCB (PCBA),	Manufacturina of Traction Materials
	inverter	high voltage connectors fitment, cables fitment, heat-sink fitment, enclosure	Manufacturing of Traction Motor controller including inverter which at least includes
		fitment, software/firmware flashing shall be	assembly of electronic
		domestically performed.	components/semiconductors/connectors on the PCB, high voltage connectors fitment,
		With effect from 1st March 2026:	cables fitment, heat- sink fitment, enclosure
		Manufacturing of Traction Motor controller	fitment, software/firmware flashing shall be
		including inverter which at least includes	domestically performed.
		assembly of electronic	
		components/semiconductors/connectors on	
		the PCB, high voltage connectors fitment, cables fitment, heat- sink fitment, enclosure	
		fitment, software/firmware flashing shall be	
		domestically performed.	
11	Instrument	With effect from 1st September 2025:	With effect from 1st September 2025:
	Cluster	Manufacturing of Instrument Cluster which	Manufacturing of Instrument Cluster which
		at least includes assembly of electronic	at least includes assembly of electronic
		components/ semiconductors/ connectors on	components/ semiconductors/ connectors on
		the PCB, display unit fitment, wiring,	the PCB, display unit fitment, wiring,
		connector fitment, heat- sink fitment, enclosure fitment, software/firmware	connector fitment, heat- sink fitment, enclosure fitment, software/firmware
		flashing shall be domestically performed.	flashing shall be domestically performed.

Additional Conditions of e-Trucks (N2 and N3 Category) PMP

- 1. Since PMP for e-trucks are being introduced for the first time, the PMP for e-Buses as per Annexure-5 of S.O. 4259(E) dated 29th September 2024 will be applicable for e-Trucks (N2 and N3 Category), from the date of notification of this PMP till effective date as per above Table for the respective PMP component.
- 2. All other Components (as per separate list to be issued by the test agencies) of electric vehicles (e-Trucks N2 and N3 Category) shall be domestically manufactured. Testing agencies shall issue separate guidelines for assessing their domestic manufacturing.
- 3. In the case of integrated unit consisting of multiple PMP components (e.g. 3-in-1 combo unit consisting of DC-DC converter, on-board charger and motor controller including inverter), PMP verification for compliance shall be carried out separately for individual PMP components.
- 4. Definition of "manufacture" shall be as defined in CGST Act 2017.
- 5. Import of PMP components and all other components (as per separate list to be issued by the test agencies) of electric vehicles (e-Trucks N2 and N3 Category) in CKD form (child parts of PMP components and other vehicle components) from single supplier shall not be permitted.